न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 68 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 गुणाराम चौधरी पुत्र चुतराराम जाति सीरवी निवासी बेरा निम्बडीया, बाग का दरवाजा मार्ग बगडी नगर तहसील सोजत जिला पाली।		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:—

1. **श्री भवानी सिंह जैतावत अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।**

उप खण्ड अधिकारी जिला-पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक : — 03/02/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बगडी चक 2 पटवार हल्का बगडी चक 2 भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बगडी तहसील सोजत के खसरा संख्या 3022, 3024, 3025, 3026, 3027 कुल खसरे 05 कुल रकबा 10.4800 हैक्टर में प्रार्थी का 1/20 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में गणेशराम पुत्र चुतराराम सीरवी के नाम से दर्ज है, इसी प्रकार सरहद मौजा बगडी चक 2 के खसरा नम्बर 3029, 3030, 3031 जो गै0मु0 बेरा, गै0मु0 सडा व गै0मु0 नाडा कुल रकबा 0.4300 है0 में प्रार्थी गणेशराम पुत्र चुतराराम सीरवी का 1/50 हिस्सा बतौर खातेदार दर्ज है। इसी प्रकार सरहद मौजा बगडी प्रथम के खसरा नम्बर 316 रकबा 2.9900 है0 कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में गणेशराम पुत्र चुतराराम सीरवी नाम से दर्ज है। जो हिस्सा प्रार्थी के पिता के पिता चुतराराम के देहान्त के पश्चात् फौतेदगी म्यूटेशन भरते वक्त प्रार्थी गुणाराम चौधरी की जगह गलती से गणेशराम सीरवी दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम गुणाराम चौधरी ही सभी जगह दर्ज है। प्रार्थी स्कुल में भर्ती हुआ तब गुणाराम चौधरी पुत्र चुतराराम के नाम से भर्ती करवाया गया, उसके बाद में हायर सैकण्ड्री स्कूल के अंकतालिका में भी गुणाराम चौधरी दर्ज है, तत्पश्चात् आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, गैस कनेक्शन व स्कूल द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आदि में गुणाराम चौधरी ही दर्ज है। चूंकि प्रार्थी के समाज में बोलचाल की भाषा में गुणाराम व गणेशराम दोनो ही नाम से जाना व पहचाना जाता है, इसी कारण से फौतेदगी म्यूटेशन भरते वक्त गुणाराम चौधरी की जगह गणेशराम सीरवी भर दिया गया, जो एक स्लीप ऑफ पैन की मिस्टेक व बोलने व सुनने में फर्क होने की वजह से फौतेदगी म्यूटेशन में गुणाराम चौधरी की जगह गणेशराम सीरवी राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया, जिसकी जानकारी प्रार्थी को राजस्व रेकर्ड देखने से पता चला, जिसे दुरस्त करवाया जाना आवश्यक है, प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उपर वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में जहॉ पर गणेशराम सीरवी नाम दर्ज है, उसकी जगह रेकर्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करते हुये गणेशराम सीरवी की जगह गुणाराम चौधरी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत को जबाव तलब करने हेतु पर्याप्त

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से अप्रार्थी के जवाब प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया है।

प्रकरण तहसीलदार सोजत से वादग्रस्त भूमि के मौका व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर/2024/1802 दिनांक 05.12.2024 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बगडी चक 2 के खसरा नम्बर 3022, 3024, 3025, 3026, 3027 में 1/20 हिस्सा व खसरा नम्बर 3029, 3030, 3031 में हिस्सा 1/50 है व प्रार्थी का नाम गणेशराम जमाबंदी में दर्ज है। तमाम अन्य दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, बैंक खाता पास बुक, बिजली बिल, राशनकार्ड आदि में गुणाराम चौधरी दर्ज है, जो सही है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रार्थी की हक हकूक खातेदारी की कब्जा काश्त की उपरोक्त कृषि भूमि में माफिक ईश्तदुआ अनुसार प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम गणेशराम पुत्र चुतराराम के स्थान पर प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी, गैस कनेक्शन इत्यादि अनुसार गुणाराम चौधरी राजस्व रेकर्ड में शुद्धि किए जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब में तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, बैंक खाता पास बुक, बिजली बिल, राशनकार्ड इत्यादि का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम गुणाराम चौधरी पुत्र चुतराराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में माफिक ईश्तदुआ अनुसार प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम गणेशराम पुत्र चुतराराम के स्थान पर गुणाराम चौधरी पुत्र चुतराराम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

–: **आदेश** :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बगडी चक 2 पटवार हल्का बगडी चक 2 भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगडी तहसील सोजत के खसरा संख्या 3022, 3024, 3025, 3026, 3027 कुल खसरे 05 कुल रकबा 10.4800 हैक्टर, इसी प्रकार खसरा नम्बर 3029, 3030, 3031 जो गै0मु0 बेरा, गै0मु0 सडा व गै0मु0 नाडा कुल रकबा 0.4300 है0, इसी प्रकार खसरा नम्बर 316 रकबा 2.9900 है0 कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गणेशराम सीरवी के स्थान पर गुणाराम चौधरी दर्ज करने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03/02/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत